रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56] दिल्ली, शुक्रवार, मई 1, 2015/वैशाख 11, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 19
No. 56] DELHI, FRIDAY, MAY 1, 2015/VAISAKHA 11, 1937 [N.C.T.D. No. 19

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 मई, 2015

सं. फा. 5 (245)/2015/उपसचिव विधि/DS2Law/1410-1419.—नागरिक प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की धारा 2 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संदर्भ मे अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यों के संदर्भ में भारत सरकार तथा/अथवा जन अधिकारी/अधिकारीगण जिनका बचाव इसके द्वारा किया गया है, द्वारा या विरुद्ध किसी भी प्रकार के वाद याचिका, अपील या अन्य कार्यवाहियां चलाने के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली हेतु सरकारी वकील/स्थायी अधिवक्ता (सिविल) के रूप में श्री रमण दुग्गल को नियुक्त करते हैं।

ये नियुक्तिं समय-समय पर यथा निर्धारित शर्तों के अधीन होगी ।

यह अधिसूचना तत्काल से प्रभावी होगी तथा यह आगामी आदेश तक प्रवृत रहेगी।

यह अधिसूचना विषय पर पूर्ववर्ती सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करेगी।

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 1st May, 2015

No. F. 5(245)/Lit./2015/DS2Law/1410-1419.—In exercise of the powers conferred under sub-section (7) of Section 2 of Code of Civil Procedure (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Mr. Raman Duggal, Advocate as Government Pleader / Standing Counsel (Civil) for the High Court of Delhi in relation to any

suit, writ petition, appeal or other proceeding by or against the Government of National Capital Territory of Delhi and /or Union of India in relation to the affairs of the National Capital Territory of Delhi and /or public officer(s) whose defence has been undertaken by it.

The appointment of the above named Advocate shall be subject to such terms and conditions as may be prescribed from time to time.

This notification shall come into force with immediate effect and shall remain in force till further orders.

This notification shall supersede all earlier notifications on the subject with immediate effect.

सं. फा. 5 (245)/2015/उपसचिव विधि/DS2Law/1420-1429.—नागरिक प्रकिया संहिता (1908 का 5) की धारा 2 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संदर्भ मे अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यों के संदर्भ में भारत सरकार तथा/अथवा जन अधिकारी/अधिकारीगण जिनका बचाव इसके द्वारा किया गया है, द्वारा या विरुद्ध किसी भी प्रकार के वाद याचिका, अपील या अन्य कार्यवाहियां चलाने के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली हेतु सरकारी वकील/अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता (सिविल) के रूप में निम्नलिखित अधिवक्ताओं को नियुक्त करते हैं, अर्थात :–

क्रम संख्या	अधिवक्ता का नाम
1	संजय घोष
2	गौतम नारायण
3	देवेष सिंह
4	सत्यकाम
5	पीयुष कालरा
6	अनुज अग्रवाल
7	नौषाद अहमद खान
8	संतोष कुमार त्रिपाठी

1. ये नियुक्तियां समय–समय पर यथा निर्धारित शर्तों के अधीन होगी ।
2. यह अधिसूचना तत्काल से प्रभावी होगी तथा यह आगामी आदेश तक प्रवृत रहेगी।
3. यह अधिसूचना विषय पर पूर्ववर्ती सभी अधिसूचनाओं का अधिकमण करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,
आर. किरण नाथ, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

No. F. 5(245)/Lit./2015/DS2Law/1420-1429.—In exercise of the powers conferred under sub-section (7) of Section 2 of Code of Civil Procedure (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following advocates as Government Pleaders / Addl. Standing Counsel (Civil) for the High Court of Delhi in relation to any suit, writ petition, appeal or other proceeding by or against the Government of National Capital Territory of Delhi and / or Union of India in relation to the affairs of the National Capital Territory of Delhi and / or Public Officer(s) whose defence has been undertaken by it, namely:—

Sl. No.	Name of the Advocate
1.	Mr. Sanjoy Ghose
2.	Mr. Gautam Narayan
3.	Mr. Devesh Singh
4.	Mr. Satyakam
5.	Mr. Peeyoosh Kalra

6.	Mr. Anuj Aggarwal
7.	Mr. Naushad Ahmed Khan
8.	Mr. Santosh Kumar Tripathi

1. These appointments shall be subject to such terms and conditions as may be prescribed from time to time.
2. This notification shall come into force with immediate effect and shall remain in force till further orders.
3. This notification shall supersede all earlier notifications on the subject with immediate effect.

By order and in the Name of Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

R. KIRAN NATH, Principal Secy. (Law, Justice & LA)

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 मई, 2015

सं. फा. 7(400)/नीति/वैट/2011/पार्ट फा./142–155.—मैं, संजीव खीरवार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 31 के उपनियम (2) और (5) (इसके आगे उल्लिखित 'नियमों' के अनुसार) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम (2) के उपनियम (4) के खंड (ख) तथा दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 36 (इसके आगे उल्लिखित 'अधिनियम' के अनुसार) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित स्टेट बैंक ऑफ पटियाला को, पहले से अधिसूचित बैंकों के अतिरिक्त, पंजीकृत व्यापारी या पंजीकृत होने योग्य व्यापारी, ठेका देने वाले (टैन धारी), अनौपचारिक व्यापारी और अन्य किसी व्यक्ति को कर, ब्याज, दंड और अन्य कोई राशि जो कि इस अधिनियम या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन देय हो, केवल ई–भुगतान द्वारा जमा करने के प्रयोजन के लिए उपयुक्त शासकीय कोषागार के रूप में अधिसूचित करता हूँ ।

2. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का प्राधिकरण, आर.बी.आई. के विनियमों के अतिरिक्त, अधिसूचना सं. फा. 07(400)/नीति/वैट/2014/1387–1398 दिनांक 28/03/2014 में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन भी होगा ।

3. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

संजीव खीरवार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

DEPARTMENT OF TRADE & TAXES

NOTIFICATION

Delhi, the 1st May, 2015

No. F. 7(400)/Policy/VAT/2011/PF/142-155.—In exercise of the powers conferred under sub-rule (2) and (5) of Rule 31 of Delhi Value Added Tax Rules, 2005 (hereinafter referred to as 'the Rules') read with clause (b) of sub-rule (4) of Rule 2 of the Rules and Section 36 of Delhi Value Added Tax Act, 2004 (hereinafter referred to as 'the Act'), I, Sanjeev Khirwar, Commissioner, Value Added Tax, do hereby notify State Bank of Patiala located in the National Capital Territory of Delhi as 'Appropriate Government Treasury' for collection of tax, interest, penalty or any other amount due under the Act or Central Sales Tax Act, 1956 from the dealers registered or liable to be registered under the Act, casual traders, contractees (**TAN holders**) and any other person in e-payment mode only, in addition to the already notified banks.

The Authorisation of State Bank of Patiala, in addition to the RBI's regulations, shall further be subject to the conditions mentioned in notification No.F.7(400)/Policy/ VAT/2014/1387-98 dated 28/03/2014

This notification shall come into force with immediate effect.

SANJEEV KHIRWAR, Commissioner, VAT

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.